150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

//कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

—:: आदेश ::—

क्रमांक :— 11 /लेखा/60/2022, अलीराजपुर,दिनांक :—17/01/2022

मध्यप्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार/ जलवाहक, माली एवं स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराये जाने हेतु माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की सूचना क्रमांक 516 दिनांक 24.12.2021 के परिपालन में जिला न्यायिक स्थापना अलीराजपुर में साक्षात्कार कार्यक्रम दिनांक 23 जनवरी, 2022 को नियत किया गया था।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से ई—मेल के माध्यम से प्राप्त परिपत्र क्रमांक—ए/136/2022 जबलपुर, दिनांक 07.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड—19 के विभिन्न वैरिएंट के बढ़ते संक्रमण से बचाव किये जाने का उत्तरदायित्व जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सौंपा गया है। जिला न्यायिक स्थापना अलीराजपुर में पूर्व में उक्त संक्रमणग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अत्यंत कम थी किंतु विगत दिनों उनमें चिंताजनक स्तर की बढ़ोतरी हुई है तथा एक न्यायाधीश एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कोरोना से ग्रस्त पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आकस्मिकता निधि प्रभारित कर्मचारियों की सीधी भर्ती के साक्षात्कार के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए संक्रमण से जिला न्यायालय में सहभागिताकर्ताओं में संक्रमण बढ़ने की संभावना है।

अतः माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीश (न्यायिक जिला स्थापना अलीराजपुर), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के परामर्श एवं निर्देशानुसार वर्तमान में कोविड—19 के विभिन्न वैरिएंट के संक्रमण को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक, भृत्य/ चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/ नियुक्ति हेतु आगामी दिनांक 23.01.2022 को आयोजित साक्षात्कार को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(अरुण कुमार वर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म.प्र.)

O/C

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

//कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

पृष्ठां.क्रमांक–152/लेखा/60/2022 अलीराजपुर,दिनांक–17/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (अलीराजपुर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि माननीय महोदय के माध्यम से रजिस्ट्री को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संबंधित सर्विस प्रोवाईडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 23 जनवरी, 2022 को आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को एस.एम.एस./ई–मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलम्ब प्रेषित की जावे।
4. श्री चंद्रमोहन, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी.सी.एस. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सर्वसंबंधित न्यायाधीशगण एवं कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, न्यायालय अलीराजपुर (म.प्र.) की ओर सूचना पटल पर चस्पा करवाये जाने हेतु प्रेषित है।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलीराजपुर(म.प्र.) की ओर उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय अलीराजपुर की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. जन संपर्क अधिकारी, अलीराजपुर(म.प्र.) की ओर आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म.प्र.)

o/c